अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

04 20.07.2023	**न्यायालय उपायुक्त, रॉची** अधिग्रहण वाद सं० 39 आर० 28/2022–23 राज्य बनाम मनोज कुमार पिता शिवनारायण साव निवासी ग्राम साण्डी, रजरप्पा प्रोजेक्ट, सेवल, रामगढ़ ' 829150 .... विपक्षी आदेश प्रस्तुत वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, रॉची के ज्ञापांक सं0 883/अप०शा० (ग्रा०) दिनांक 17.02.2023 द्वारा सिल्ली (मुरी ओ० पी०) थाना कांड सं०–104/22 दिनांक 08.10.2022, धारा–414 भा0द0वि०, 4/21 MMDR Act, 1957, 4/54 JMMC Rules 2004 एवं 7/11/13 Jharkhand Mines and Minerals (Prevention of Illegal Minerals and Transportation & Storage) Rule, 2017 में जप्त वाहन संख्या – JH-02-AU-9132 को राजसात की कार्रवाई करने हेतु अग्रसारित अनुशंसा के आधार पर आरम्भ किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वादी श्री पवन आशीष लकडा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी – सह – अँचलाधिकारी, सिल्ली रॉची के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर मुरी–गोला रोड के डी०ए०वी० स्कुल के पास दिनांक 08.10.2022 को समय लगभग 09:00 बजे अवैध बालू से लदा हाईवा वाहन सं०, JH-02-AU-9132 को रोका गया। वाहन चालक से पुछताछ करने पर चालक द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन मे बालू लदा हुआ है। वाहन पर लदे बालू से संबंधित कागजात की मांग करने पर चालक द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नही किया गया। वादी श्री पवन आशीष लकड़ा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी – सह – अँचलाधिकारी, सिल्ली रॉची के लिखित अभ्यावेदन पर सिल्ली (मुरी ओ० पी०) थाना कांड सं०–104/22 दिनांक 08.10.2022, धारा–414 भा0द0वि०, 4/21 MMDR Act, 1957, 4/54 JMMC Rules 2004 एवं 7/11/13	

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गः कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

Jharkhand Mines and Minerals (Prevention of Illegal Minerals and Transportation & Storage) Rule, 2017 दर्ज किया गया तथा जप्त वाहन संख्या – JH-02-AU-9132 को विधिवत जप्त किया गया।

इस न्यायालय द्वारा विपक्षी को निबंधित डाक के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु विपक्षी ना तो इस न्यायालय मे उपस्थित हुए, ना ही उन्होने कारण पृच्छा समर्पित किया है। विगत तिथि को पुकार होने पर भी विपक्षी की ओर से इस वाद मे बहस करने हेतु कोई उपस्थित नही हुआ। अतः प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् यह वाद अंतिम आदेश पारित करने हेतु निर्धारित किया गया।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि श्री पवन आशीष लकड़ा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी – सह – अँचलाधिकारी, सिल्ली रॉची के द्वारा प्रश्नगत वाहन को अवैध बालु परिवहन करने के दौरान जप्त किया गया तथा तद्‌नुसार सिल्ली (मुरी ओ० पी०) थाना कांड सं०–104/22 दिनांक 08.10.2022, धारा–414 भा0द0वि०, 4/21 MMDR Act, 1957, 4/54 JMMC Rules 2004 एवं 7/11/13 Jharkhand Mines and Minerals (Prevention of Illegal Minerals and Transportation & Storage) Rule, 2017 दर्ज किया गया तथा जप्त वाहन संख्या – JH-02-AU-9132 को विधिवत जप्त किया गया। अनुसंधान के क्रम मे उक्त वाहनो मे लदे बालु के वैधनिकता के संदर्भ मे न तो कोई प्रमाणिक साक्ष्य मिले है ना ही उक्त वाहनो के मालिको द्वारा कोई तथ्यात्मक कागजात ही प्रस्तुत किये गये है। विपक्षी /वाहन मालिक यह भी प्रमाणित करने मे असमर्थ रहे है कि उनके उक्त वाहनो मे अवैध बालु उनके अनुमति एवं जानकारी के बगैर परिवहन किया जा रहा था।

अतः सिल्ली (मुरी ओ० पी०) थाना कांड सं०–104/22 दिनांक 08.10.2022, मे जप्त वाहन संख्या – JH-02-AU-9132 को राजसात

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

किया जाता है।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉंची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉंची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.31 20:52:15 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:20ad:86e:3f57:d4b9